

26/5

पत्रावली पेशा। वकील पार्थी हाजिर।
पत्रावली में वकील पार्थी को पूर्व में
भी बार-बार अंतिम विवायत की
चुकी है कि अपाथिगण की तामिल
की रसीदे पेश करे लेकिन आज दिनांक
तक तामिल की रसीदे पेश नहीं की।
अतः पार्थी का आवेदन ^{अन्तर्गत धारा 32 किस} अन्तर्गत आदेश
नियम 5 के तहत खारिज किया जात
गया। पत्रावली फेरतल शुमार होकर नम्बर
से कम होकर दाखिल दफ्तर है।

Jayant

उपखण्ड अधिकारी, दांतरामगढ़